

प्रेस विज्ञप्ति

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 27.05.2025

दबिश के दौरान 08 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 0 वारण्टीगण नाम पता 1. साहलि यादव पुत्र रामजी यादव निवासी करैली 02. मदनलाल पुत्र रामलगन यादव निवासी करैली 03. रामजी यादव पुत्र रामदरस यादव निवासी करैली 04. रामप्रीत यादव पुत्र रामलगन यादव निवासी करैली 05. बीरबल यादव पुत्र रामदयाल यादव निवासी हावपुर भण्डारी 06. दुर्गेश कुमार निषाद पुत्र हरीराम निवासी विहारे 07. राजेन्द्र धोबी पुत्र प्रभु धोबी निवासी विहारे 08. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मिन पुत्र जोखन निवासी विहारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, हे0का0 मनोज यादव, हे0का0 अखिलेश नायक, का0 अमरेश पाल, का0 संजीव यादव, का0 अमित यादव, का0 बालगोविन्द, का0 श्यामबहादुर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 09 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बूधाकला से कालर द्वारा गोरखपुर से दिल्ली की तरफ जा रही अचानक बस पलट जाने के कारण घायल 09 व्यक्तियों (1. उषा पत्नी दीनानाथ R/O विधई जनपद कुशीनगर 2. प्रेमप्रसाद पुत्र महगू प्रसाद R/O बनकटा जनपद कुशीनगर 3. नेहा पत्नी रसेल R/O ठाकुरदेवा जनपद देवरिया 4. अर्कित पुत्र संजय R/O ठाकुरदेवा जनपद देवरिया 5. आंचल कुमारी पुत्री सर्वेन्द्र कुमार R/O कनईल गोरखपुर 6. प्रियांशु पुत्र सर्वेश R/O उनवल गोरखपुर 7. संजय पुत्र शेषनाथ R/O उनवल गोरखपुर 8. अभिमन्यु पुत्र सर्वेश R/O उनवल गोरखपुर 9. जसवंत पुत्र नथु साहनी R/O कुशीनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 श्रीप्रकाश, हे0का0 मदनपाल नाथ त्रिपाठी, चा0हे0का0 राजनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनों से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / सदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनों से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01**

अदद लाठीनुमा युकेलिप्टस की सूखी डाली के साथ किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 190/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस व 3(1)(द)/3(1)/ध/3(2)va व 3(2)v SC/ST Act में वांछित अभियुक्त नाम पता सर्वेश यादव पुत्र गौरीशंकर यादव सा0 कुसमहामाफी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 27.05.2025 को ढोढ़या नहर पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सर्वेश यादव पुत्र गौरीशंकर यादव सा0 कुसमहामाफी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठीनुमा युकेलिप्टस की सूखी डाली (गांठे उभरी हुई)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, कां0 लवकेश यादव, कां0 संजीव यादव।

पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा छीना झपटी के मामले से संबंधित थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत निघुरी में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश*

आज दिनांक 06.02.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती ***श्री दिनेश कुमार पी.*** द्वारा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** की उपस्थिति में विगत दिनांक 01.02.2025 को रात्रि 09:25 बजे थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत ग्राम निघुरी, सेहर मेमोरियल हास्पिटल के पास 01 मोटरसाइकिल पर सवार 04 व्यक्तियों द्वारा प्रदीप कन्नौजिया पुत्र विश्राम कन्नौजिया निवासी चुडीहारी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर व सलीम मोहम्मद पुत्र मोईद निवासी ग्राम भदवल थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर का मोबाइल व पैसा छिन्ने के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को आवेदक नूर आलम पुत्र मो० शाह आलम निवासी शास्त्रीनगर तेतरी बाजार थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर पर मु0अ0स0 30/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। महोदय द्वारा उक्त घटना स्थल का निरीक्षण गया तथा संबंधित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह***, थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री नंदू गौतम***, सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.04.2025 को समय करीब 18.40 बजे संतोष चतुर्वेदी पुत्र रणजीत चतुर्वेदी निवासी ग्राम भिटहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा अपने मो0नं0 7347708185 से जरिये दूरभाष उ0नि0 सत्येन्द्र यादव को सूचना दिया कि बढ़या बाग के पास मुझे बुरी तरह मारा पीटा गया है मैं खलीलाबाद अस्पताल जा रहा हूँ उक्त सूचना पर उपलब्ध पुलिस बल के साथ उ0नि0 सत्येन्द्र यादव तत्काल बताये गये कथित घटना स्थल बढ़या बाग पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में आस पास के दुकानदारों से वार्ता की गयी तो कोई भी व्यक्ति उक्त स्थान पर कथित घटना का घटित होना नहीं बताया। तत्पश्चात संतोष चतुर्वेदी के मो0नं0 पर फोन करके घटना स्थल के बारे में पुनः पूछा गया तो बताये कि मैं जिला अस्पताल संतकबीरनगर इलाज कराने हेतु पहुंच गया हूँ, घटना स्थल गोलहटा मोड़ के 50 मीटर पूरब मझौवा एकडंगा मार्ग पर यूकेलिप्टस के बाग के पास की घटना है उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर दूर-दूर तक कोई घर या दुकान नहीं है निर्जन स्थान है कथित घटना स्थल के करीब 500 मीटर आगे मझौवा एकडंगा तिरहा पर कुछ दुकाने हैं दुकानदारों एवं दुकानों पर मौजूद लोगों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो बताये कि मारपीट जैसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कथित घटना स्थल का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर, क्षेत्राधिकारी धनघटा मय पुलिस बल के साथ किया गया। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा जिला अस्पताल संतकबीरनगर पहुंचकर संतोष चतुर्वेदी की स्थिति का जायजा लिया गया है। अभी तक संतोष चतुर्वेदी पक्ष से उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई तहरीरी सूचना प्राप्त नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। सादर सूचनार्थ प्रेषित है।